न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
210 / 2023	05.06.2023	27.07.2023

अनवान

1. सुमन देवी पत्नी श्री बाबूलाल जाति मेघवाल निवासी जी- 481, न्यू बापूनगर, भीलवाड़ा राज0

प्रार्थिया

बनाम

1. महावीर प्रसाद मोटिया पुत्र श्री बंशी लाल जाति ढोली निवासी आसीन्द हाल निवासी पुलिस लाईन, भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील व जिला भीलवाड़ा

अप्रार्थीगण

उपस्थिति : अधिवक्ता श्री मुकेश धोबी प्रार्थिया
एक तरफा अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम ::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम रामपुरिया, पटवार हल्का रामपुरिया, भू.अ.नि. क्षेत्र गुरला, तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी 2069 2073 के खाता संख्या 90 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 35 / 1 रकबा 1.7197 है0 किस्म बारानी तृतीय भूमि प्रार्थिया के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है और विपक्षी सं. 01 आराजियात का पड़ौसी है। प्रार्थिया की उक्त वर्णित आराजियात का पूर्व में सीमांकन नहीं हुआ है, जिससे मेड़ पाली की घास काटने, फसल काश्त कराने हेतु संज बैल आदि लाने ले जाने, हंकाई करने हेतु ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने आदि के बारे में प्रार्थिया एवं विपक्षी सं. 01 के मध्य आये दिन विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थिया की खातेदारी की आराजियात की पत्थरगढ़ी कराई जावे।

इस पर प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 27.07.2023 को अप्रार्थीगण के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थिया द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

की इस्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थिया द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढ़ी का है व प्रार्थिया अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहती है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थिया आराजियात जैर बहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थिया प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने की अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 128 रा0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भीलवाड़ा को सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार भीलवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि मौजा ग्राम रामपुरिया, पटवार हल्का रामपुरिया, भू. अ.नि. क्षेत्र गुरला, तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी 2069–2073 के खाता संख्या 90 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 35/1 रकबा 1.7197 है0 किस्म बारानी तृतीय भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिह्न स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढ़ी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। सीमांकन (पत्थरगढ़ी) हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को 1000/- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नरी शुल्क का रिकॉर्ड विधिवत् संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करें तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थिया से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार भीलवाड़ा को तहरीर जारी करें।

पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा